फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतनी देवी उर्फ रतन देवी पत्नि भगवती लाल स्वर्णकार निवासी हथियाना वगैरा

बनाम

मोहनलाल पिता हमेर खटीक निवासी हथियाना वगैरा

कार्यवाही :– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 एवं सपठित धारा 151 जा. दी.

प्रकरण संख्या 146/2024 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में मूल आवेदन पर दिनांक 21.02.2025 को बहस सुनी जाकर आज दिनांक 28.02.2025 को निर्णय हेतु पत्रावली रिजर्व की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण/निगराकारगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 20/2021(नि.पं.) दर्ज होकर बहस हेतु दिनांक 16.08.2024 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी संख्या 2 भगवती लाल स्वर्णकार का स्वास्थ्य खराब हो जाने से प्रार्थी संख्या 1 रतनी देवी उसका ईलाज कराने में व्यस्त रहने से तारीख पेशी दिनांक 16.08.2024 को उपस्थित नहीं हो सकी तथा न ही अपनी अनुपस्थिति की सूचना अपने अधिवक्ता को दे सकी और प्रार्थीगण के अधिवक्ता नवीन न्यायालय परिसर, निम्बाहेड़ा रोड़, चित्तौड़गढ़ में किसी अन्य प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध कराने में व्यस्त होने से वे भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण उनकी निगरानी प्र. सं. 20/2021 (नि.पं.) को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण में पत्रावली अंतिम बहस की स्टेज पर लम्बित होकर उक्त प्रकरण में यदि मेरिट पर सुनवाई होकर निर्णय नहीं हुआ तो प्रार्थीगण/निगराकारगण को न्याय से वंचित होना पड़ेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भी सम्भव नहीं होगी। प्रार्थी संख्या 2 के बीमार होने तथा उसकी सेवा चाकरी में प्रार्थी संख्या 1 व्यस्त होने से पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 12.09.2024 को प्रार्थीगण/निगराकारगण के तारीख पेशी मालूम करने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने पर उक्त प्रकरण दिनांक 16.08.2024 को अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 12.09.24 को नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर	

.....लगातार

	दिनांक 20.09.2024 को निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक 12.09.24 से अन्दर मियाद यह प्रार्थना पत्र पेश है फिर भी दिनांक 16.08.2024 से 25.09.2024 की अवधि कंडोन फरमाये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण संख्या 20/2021 (नि.पं.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण/निगराकारगण एवं उसके अधिवक्ता के न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थीगण/निगराकारगण ने नियत पेशी पर बीमार हो जाने का गलत कथन अंकित किया है तथा प्रार्थीगण ने न्यायालय में अनुपस्थिति बाबत् कोई ठोस एवं सद्भावी कारण नहीं बताया है जिससे प्रार्थीगण कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माना जाता है। चूंकि प्रार्थीगण/निगराकारगण ने नियत तारीख पेशी पर प्रार्थी संख्या 2 भगवती लाल के बीमार हो जाने का कथन करते हुए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकने का निवेदन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में बीमारी संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी हम सहानुभूति रखते हुए उक्त प्रकरण/निगरानी को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। अतः न्यायहित में राशि 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये मात्र की कोस्ट पर प्रकरण संख्या 20/2021 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 16.08.2024 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण/निगराकारगण 1000/– रूपये कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करावें। प्रार्थीगण/निगराकारगण के कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करा जी. ए. –55 की रसीद प्रस्तुत करने पर ही प्रकरण संख्या 20/2021 (नि.पं.) को नम्बर पर लिया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 20/2021 (नि.पं.) के संलग्न की जावे।	